

नगर परिषद, फतेहपुर शेखावाटी

(राजस्थान नगरपालिका अधिनियम 2009 की धारा के अन्तर्गत)

अनापत्ति प्रमाण पत्र

आवेदन नं.: LSG/FATEHPUR SHEKHAWATI/FIRENOC/2025-26/55364
जारी दिनांक: 09-SEP-2025 वैधता दिनांक: 08-SEP-2027

प्रेषित-

आवेदक का नाम श्री/श्रीमती: MAHESH KUMAR SHARMA
आवेदक का पता: NEAR DO JANTI BALAJI FATEHPUR SHEKHAWATI

विषय:- अग्निशमन अनापत्ति प्रमाण पत्र जारी करने बाबत

आपके भवन NEW VINAYAK SHIKSHA SAMITI, NIL, NEAR DO JANTI BALAJI, CHURU ROAD, FATEHPUR, SIKAR, RAJASTHAN का निरीक्षण किया गया निरीक्षण के दौरान अग्नि सुरक्षा उपकरण सही पाए गए अतः उपरोक्त सुरक्षा व्यवस्था के अनुसार निम्न शर्तों पर पाबंद करते हुए यह अस्थायी (Temporary) अनापत्ति प्रमाण पत्र जारी किया जाता है।

शर्तें:-

- अनापत्ति प्रमाण पत्र जारी करने की तिथि से एक वर्ष की अवधि हेतु मान्य होगा। एक वर्ष बाद अनापत्ति प्रमाण पत्र का नवीकरण किया जाना आवश्यक होगा, अन्यथा स्वतः निरस्त माना जावेगा।
- भवन के समस्त स्टाफ, सिविलीटी गार्ड आदि को वर्ष में कम से कम दो बार अग्निशमन प्रशिक्षण दिलवाना आवश्यक होगा।
- अग्निशमन उपकरण समयावधि में रीफिल करवाना होगा।
- निरीक्षण के दौरान आवश्यक दिशा निर्देशों का पालन करना होगा।
- यदि राज्य सरकार या नगर निगम नगर परिषद भविष्य में कोई नियम उपनियम जारी करता है तो प्रबंधक को मान्य होगा।
- भवन का अग्निशमन अधिकारियों द्वारा कभी भी निरीक्षण किया जा सकेगा व फायर सिस्टम कार्यरत नहीं पाए जाने की स्थिति में 5000 रुपये का जुर्माना अथवा प्रमाण पत्र निरस्त किया जा सकता है।
- पानी के टैंक हर समय भरे रखने होंगे, संपूर्ण सिस्टम 24 घंटे कार्यशील स्थिति में रखने को बाध्य होंगे।
- अग्निशमन उपकरणों, सिस्टम को चलाने हेतु 24 घंटे प्रशिक्षित कर्मचारी रखने होंगे।
- अग्निशमन वाहन आसानी से आ जा सके इसके लिए पर्याप्त खुल्ला स्थान अवरोध रहित रखना होगा।
- भवन के अंदर किसी भी प्रकार का विस्फोटक पदार्थ व अति ज्वलनशील पदार्थ नहीं रखा जाएगा।
- रोप लेडर व दो रस्सा भवन के सभी टावर में टावर की ऊँचाई जितना हर समय रखना होगा।
- यह अनापत्ति प्रमाण पत्र अग्नि सुरक्षा की दृष्टि से ही मान्य होगा।
- भूमि व भवन से संबंधित किसी भी प्रकार के विवाद हेतु ये पत्र बतौर साक्ष्य मान्य नहीं होगा एवं इस बाबत आवेदक स्वयं उत्तरदायी होगा।
- यह अनापत्ति प्रमाण पत्र रुफ टॉप रेस्टोरेण्ट के लिए मान्य नहीं है जिस भाग के लिए अनापत्ति प्रमाण पत्र जारी किया जा रहा है वहाँ पर रुफ टॉप रेस्टोरेण्ट का संचालन प्रतिबंधित रहेगा।
- यह अनापत्ति प्रमाण पत्र भवन या भूमि के स्वामित्व तथा भवन निर्माण से संबंधित किसी प्रकार का साक्ष्य नहीं है।



अग्निशमन अधिकारी
नगर परिषद, फतेहपुर शेखावाटी